हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम,जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/11/26 प्रस्तावली देखी मैं लोगों अधिवक्ता वादी हाजिर नहीं। न ही प्रतिवादीगण की तरफ से कोई हाजिर। सम्मन तामील प्रेषक किए जा रहे। न्यायालय द्वारा कानून के आधार पर जारी नहीं। वादी स्वयं एवं उनकी तरफ से अधिवक्ता के हाजिर नहीं आने पर वादी का वाद पत्र आदेश 17 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज किया जाता है। प्रस्तावली निकाली हो रहे नम्बर से कम हो। निर्णीत बुक न्यायालय के हुकूम।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:09:09 IST
Reason: SelfAttested